दिनांक 10.05.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के "कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बिहार" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.05.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के "कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बिहार" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, श्री सौरभ श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी बिहार उपस्थित रहे।

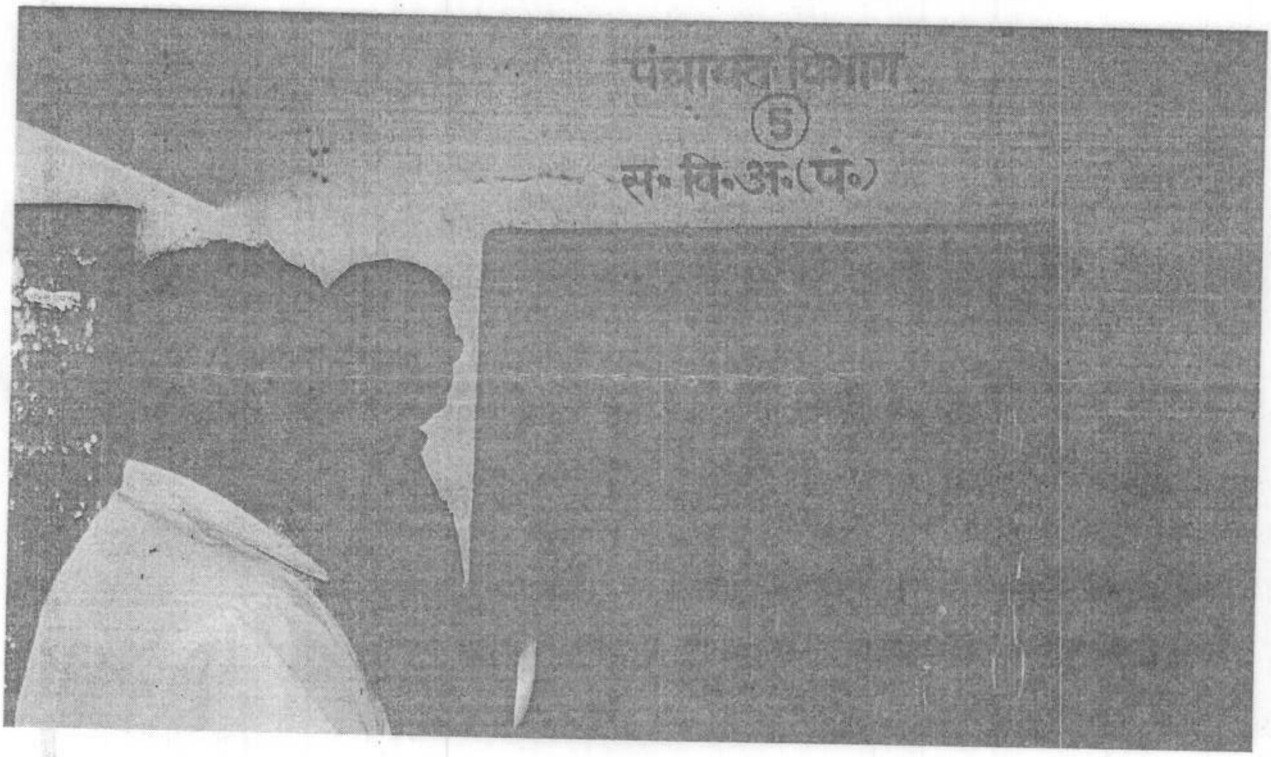

1. निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी (को—आपरेटिव) के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (को—आपरेटिव) का पद रिक्त है, जिनका कार्य जनंपद मुख्यालय स्तर से अपर सहायक निबन्धक (सहकारी समितियाँ) द्वारा देखा जाता है जो कभी—कभार उपस्थित होते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (को—आपरेटिव) को तैनात करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. निरीक्षण के दौरान श्री ओम प्रकाश प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) से विकास खण्ड में संचालित ग्राम समूह योजना के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा कोई भी अद्यावधिक विवरण—पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी सहायक

————2

विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम का स्वयं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

3. मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में श्री गिरीश पाल अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) द्वारा अवगत कराया गया कि इस विकास खण्ड में कुल 81 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 44 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है तथा शेष 37 ग्राम पंचायतों में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी कार्य नहीं चल रहे हैं उनमें तैनात ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं रोजगार सेवक तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4. लोहिया आवास के वर्ष 2014–15 के लाभार्थियों के आवासों के अद्यावधिक फोटोगाफ सम्बन्धित **lgay** वेबसाइट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में पूॅछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित पटल सहायक श्री हीरा लाल सहायक लेखाकार द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि अभी तक कुल 412 आवासों के सापेक्ष अभी तक 269 आवासों की फोटो अपलोड की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया समस्त आवासो की एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार फोटो अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी सहायक लेखाकार के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर अवगत करायें।

5. लोहिया आवासों के शत–प्रतिशत निर्माण कराने एवं द्वितीय किश्त प्रेषण के सम्बन्ध में पूॅछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित पटल सहायक श्री हीरा लाल द्वारा कोई भी अद्यावधिक विवरण–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि लोहिया ग्राम भावनपुर में 06 आवासों का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पूॅछतांछ करने पर पटल सहायक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गयी और एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप किया जाता रहा। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्राम का आज ही स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण कर उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर

————3

अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से जनपद के समस्त विकास खण्डों में लोहिया आवासों के निर्माण एवं लाभार्थियों के खातों में धनराशि प्रेषण की स्वयं समीक्षा करें।

6. इन्दिरा आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित पटल सहायक द्वारा कोई भी अद्यावधिक रजिस्टर/अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही उक्त महत्वपूर्ण योजना से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेखों को अद्यावधिक स्थिति में रखने हेतु पूर्व में जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी को समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती राजपती पत्नी स्व0 रामसुख (अनुसूचित जाति), निवासी ग्राम पंचमहुआ के वर्ष 2015–16 के लोहिया आवास के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी के पत्र संख्या : 321/लेखा दिनांक 20.04.2016 द्वारा खाता संख्या : 20870100022918 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पंचमहुआ को धनराशि 1,37,500.00 चेक संख्या : 867612 दिनांक 3.03.2016 का चेक संलग्न कर मूल रूप में शुद्धीकरण हेतु प्रकरण परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रतापगढ़ को प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोहिया आवास के लाभार्थियों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खातों में नियमानुसार धनराशि प्रेषित की जाती है तो उक्त लाभार्थी को किन परिस्थितियों में चेक से धनराशि निर्गत की जा रही है, के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी/पटल सहायक से पूँछतांछ की गयी तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण का स्वयं परीक्षण करके अपनी सुस्पष्ट आख्या 02 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत इस विकास खण्ड में उपलब्ध धनराशि के सम्बन्ध में श्री राकेश श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक से पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत लगभग 40 लाख रुपये माह मार्च 2016 में प्राप्त हुआ था, जिसके अन्तर्गत अभी तक कोई भी कार्य नहीं कराया गया है और धनराशि अवशेष पड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण योजना के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु पूर्व में ही समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी

———4

को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें तथा उक्त महत्वपूर्ण योजना की स्वयं समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

9. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त कार्यालय अत्यन्त ही जर्जर स्थिति में है तथा मनरेगा व अन्य कक्षों में दीवालों के प्लास्टर आदि उखड़ गये हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10. लोहिया आवास एवं क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित पटल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त पटल सहायकों द्वारा अभिलेखों को समुचित ढंग से ऑलमारियों के भीतर नहीं रखा गया है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि स्वयं के पर्यवेक्षण में कार्यालय के समस्त पटलों से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक स्थिति में समुचित ढंग से ऑलमारियों आदि में रखवाना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 773 /शिविर–2016 दिनांक : मई 12 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. उप जिलाधिकारी कुण्डा, प्रतापगढ़।
5. जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0,प्रतापगढ़।
6. उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा), प्रतापगढ़।
7. खण्ड विकास अधिकारी, बिहार।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।